

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 7(1)(3)पंचा/रानिआ/14-15/9022

दिनांक : 18.9.26

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में।

महोदय,

निर्वाचनों में मतदान के दौरान प्रायः यह देखा गया है कि दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर अपने मताधिकार का उपयोग करने में कतिपय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मतदाताओं के लिए आवश्यक हैं कि उन्हें मतदान केन्द्र पर वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे उन्हें मतदान करने में आसानी हो।

इस संबंध में आयोग द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में ऐसे मतदाताओं को चिह्नित कर उनकी मैपिंग (Mapping) की जाए और उनकी सूची प्रत्येक मतदान बूथ पर पदस्थापित सहायक को उपलब्ध करवाई जाये।

Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध आयोग यह निर्देश देता है कि :-

1. जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक पंचायत समिति के लिए Person with Disabilities (PwDs) को मतदान में सहायता के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें। नोडल अधिकारी का टेलीफोन न./मोबाइल न. ऐसे मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रचारित किया जावे।
2. Person with Disabilities (PwDs) को उनके निवास से मतदान बूथ तक लाने एवं मतदान करने के पश्चात उन्हें निवास तक छोड़ने की समुचित व्यवस्था की जाए, इस हेतु आवश्यक हो तो स्वयं सेवी संस्थाओं एवं NSS की सहायता ली जाए।
3. मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए Person with Disabilities (PwDs) को प्राथमिकता प्रदान की जाए।
4. Person with Disabilities (PwDs) को ऐसी पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे वे अपनी व्हील-चेयर मतदान केन्द्र तक ले जा सकें। यदि Person with Disabilities (PwDs) के पास व्हील-चेयर नहीं है तो इस हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं एवं विभिन्न विभागों के सहयोग से मतदान बूथ पर व्हील-चेयर की व्यवस्था की जाए। यदि मतदान केन्द्र पर स्थाई रैम्प नहीं हैं तो अस्थायी रैम्प बनाया जाए। दिव्यांग मतदाताओं की बूथ पर सहायता के लिए NSS के सदस्य, NCC cadet, Scout Guide की सेवाएं ली जा सकती हैं।
5. मतदान दल को Person with Disabilities (PwDs) की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखने, उनके प्रति विशेष विनम्र व्यवहार रखने एवं अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील होना चाहिए।
6. Person with Disabilities (PwDs) जो बोलने व सुनने की दुर्बलता वाले हैं का भी विशेष ध्यान रखते हुए मतदान में उचित सहायता उपलब्ध कराई जाए।

